

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर

विषय : विधानसभा आम चुनाव, 2023 - आदर्श आचार संहिता-मंत्रियों के दौरे/सुरक्षा/वाहनो के दुरुपयोग बाबत।
प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 4/2001/J.S.II दिनांक 30.03.2001
437/6/2004-PLN III दिनांक 30.12.2004. 464/INST/2007-PLN-I दिनांक 08.01.2007. 434/6/2007-PLN-III दिनांक 23.11.2007. 464/INST/2008/PLN-I/ दिनांक 27.02.2008. 464/INST/2009/EPS दिनांक 08.02.2009. 437/6/2009-CC&BE दिनांक 05.03.2009. 437/INST/2009/CC&BE दिनांक 25.03.2009. 434/6/INST/2008-CC&BE दिनांक 21.04.2009. 437/6/INST/2010-CC&BE दिनांक 05.10.2010. 437/6/INST/2011-CC&BE दिनांक 01.04.2011. 464/INST/2014/EPS दिनांक 10.04.2014. 464/INST/2015-EPS दिनांक 30.09.2015 एवं 464/L&O/2023/EPS (Use of Veh.) दिनांक 26.06.2023

विधानसभा आम चुनाव, 2023 कराए जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा यथाशीघ्र की जाने वाली है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ जायेगी जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक जारी रहेगी।

आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान मंत्रियों के दौरे, उनकी सुरक्षा, वाहनो का दुरुपयोग एवं आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रासंगिक पत्रों के द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनकी छायाप्रतियाँ पत्र के साथ आपको प्रेषित की जा रही हैं। कृपया आदर्श आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान आयोग के इन दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

इन निर्देशों की प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मंत्रीगणों/राज्य मंत्रीगणों/संसदीय सचिवों एवं अन्य संबंधितों को उपलब्ध करायी जाकर आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव

मंत्रीमण्डलीय सचिवालय,

राजस्थान सरकार, जयपुर।

अ.शा. टीप क्रमांक:प.8(2)(1)निर्वा/2023/6094

जयपुर, दिनांक: 08.10.23